दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 21 सितंबर, 2023
उद्घोषित: 5 फरवरी, 2024

<u>वै.अ.(परि.न्या.) 229/2023, सि.वि.आ. 4721/2015</u>

निखिल वाधवान ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री मनीष गोस्वामी, अधिवक्ता।

बनाम

प्रीति वाधवान ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री शिवम भरारा, अधिवक्ता।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. नीना बंसल कृष्णा</u>

1. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (*इसके बाद* "एचएमए, 1955" *के रूप में संदर्भित*) की धारा 28 के तहत अपीलार्थी/पति की ओर से वर्तमान अपील दिनांक 29.05.2009 के निर्णय और डिक्री के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत एचएमए, 1955 की धारा 13 (1) (झक) के तहत क्रूरता के आधार पर प्रत्यर्थी/पति द्वारा दायर विवाह-विच्छेद(तलाक) याचिका खारिज कर दी गई है।

2. संक्षेप में कहा गया है कि पक्षकारगण ने 14.10.1999 को हिंदू रीति-रिवाजों और विधि के अनुसार शादी की और 28.12.2000 को उनके विवाह से एक बेटे का जन्म हुआ।

3. अपीलार्थी/पति ने अपनी ***विवाह-विच्छेद*** याचिका में दावा किया था कि शादी के बाद, उसने और उसके परिवार के सदस्यों ने प्रत्यर्थी/पत्नी को उचित आदर, सम्मान, प्यार और स्नेह दिया, जिसके बावजूद उसने अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति वही भावनाएँ नहीं व्यक्त कीं। 16.10.1999 को विवाह के तुरंत बाद, *प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के परिवार की संपत्ति और व्यवसाय के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया*, जिससे उसके मन में मानसिक चिंता पैदा हो गई। उसने उसे आश्वासन दिया कि वह सभी बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखेगा, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। आगे यह भी दावा किया गया है कि प्रत्यर्थी ने 01.03.2000 को अपीलार्थी के पिता के व्यवसाय में बंटवारा और हिस्सा मांगा था और उनके इनकार करने पर उसने उसे और उसके परिवार के सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी थी।

4. आगे यह भी आरोप लगाया गया कि *प्रत्यर्थी रोजमर्रा के घरेलू काम नहीं करती थी,* यहाँ तक कि कई बार अपीलार्थी को भोजन के बिना ही अपने कार्यालय जाना पड़ा। जब अपीलार्थी बीमार था तो प्रत्यर्थी ने उसकी देखभाल

करने से भी इनकार कर दिया और उससे कहा कि उसे इसकी परवाह नहीं है कि वह जीवित रहे या मर जाए। उसे देर तक सोने की आदत थी।

5. अपीलार्थी ने यह भी दावा किया कि *प्रत्यर्थी/पत्नी के माता-पिता का हस्तक्षेप लगातार रहता था* और वह वैवाहिक घर में होने वाली हर बात अपने माता-पिता को बताती थी, जो बदले में उसे परेशान करते थे। जब अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से कहा- तुम्हारे माता-पिता हमारे वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप कम करें, तो उसने फिर से दुर्व्यवहार किया और अपीलार्थी को धमकी दी। जब वह अपने ऑफिस चला जाता था तो वह अक्सर बिना बताए अपने मायके चली जाती थी। प्रत्यर्थी से पूछने पर, उसके माता-पिता अपीलार्थी के माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करते थे।

6. अपीलार्थी ने आगे दावा किया था कि 21.06.2000 को चूंकि उसके कार्यालय में ज्यादा काम था, इसलिए उसने प्रत्यर्थी को उसके माता-पिता के घर छोड़ दिया। शाम को प्रत्यर्थी ने उसको उसके माता-पिता के घर से लेकर जाने के लिए बुलाया, लेकिन जब अपीलार्थी ने रात 8 बजे कार्यालय से लौटने के बाद प्रत्यर्थी को वापस लेकर आने से मना कर दिया, तो प्रत्यर्थी के पिता और मामा अपीलार्थी के घर आए और उसके माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार किया।

7. अपीलार्थी ने दावा किया कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के माता-पिता से अलग घर लेने की मांग की और जब उसने इनकार कर दिया, तो प्रत्यर्थी ने उसके

साथ दुर्व्यवहार किया। 29.08.2001 को, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के कार्यालय के लिए रवाना होने के बाद पुलिस को बुलाया और पुलिस के साथ मिलकर प्रत्यर्थी के माता-पिता और मामा ने अपीलार्थी और उसके माता-पिता की गिरफ्तारी की व्यवस्था की। *प्रत्यर्थी ने उसके खिलाफ झूठी शिकायत भी की।* पुलिस ने अपीलार्थी को कुछ कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने और प्रत्यर्थी को एक अलग आवास में ले जाने के लिए विवश किया। वे तुरंत 30.08.2001 से अपीलार्थी के दादा-दादी के साथ कीर्ति नगर, दिल्ली में शिफ्ट हो गए। इसके बाद, 19.09.2001 को वे जनकपुरी में एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। 05.10.2001 को प्रत्यर्थी अपने माता-पिता और मामा के साथ उसके कार्यालय में आई और उससे झगड़ा करने लगी कि वह पैतृक घर में क्यों नहीं रह रहा है।

8. आगे आरोप लगाया गया कि 10.11.2001 को जब अपीलार्थी के माता-पिता हरिद्वार से वापस घर लौटे और अपने घर का ताला खोलने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि ताला बदल दिया गया था। उन्होंने ताला तोड़ा और अंदर जाने पर देखा कि उनका घर पूरी तरह से बिखरा हुआ था और अपीलार्थी के मां के आभूषणों के साथ-साथ उनका कीमती सामान भी ले जाया जा चुका था। कुछ देर बाद, प्रत्यर्थी अपने पिता के साथ उनके घर आई और स्वीकार किया कि वे उनके पीछे से घर में आए थे और सभी ताले तोड़ दिए थे। उन्होंने अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने

और नतीजा भुगतने की धमकी दी। 05.11.2001 को, थानाध्यक्ष ने अपीलार्थी पर प्रत्यर्थी के साथ कीर्ति नगर में रहने के लिए फिर से दबाव डाला। उसने प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों के क्रूर बर्ताव के कारण ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर, थानाध्यक्ष ने उसे धमकी दी कि उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा।

9. 18.12.2001 को प्रत्यर्थी अपीलार्थी के कार्यालय में आई कीर्ति नगर में उसके साथ रहने के लिए दबाव डालने के लिए और जब उसने इनकार कर दिया, तो उसने उसकी मोटरसाइकिल और उसके कार्यालय को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों (गुंडों) को बुलाया। वे अपीलार्थी के पैतृक घर भी गए और दरवाजे और खिड़की के शीशों पर पत्थर और ईंटें फेंकी और अपीलार्थी के चचेरे भाई ने पुलिस बुला ली। *25.12.2001 को प्रत्यर्थी और उसके माता-पिता ने फिर से अपीलार्थी को धमकी देना शुरू कर दिया जिसके लिए उसने पुलिस में शिकायत की।*

10. यह भी दावा किया गया है कि 28.12.2000 को बेटे के जन्म के बाद जब अपीलार्थी के माता-पिता बच्चे को देखने अस्पताल गए तो प्रत्यर्थी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। यहां तक कि उसने बच्चे की देखभाल करने, उसे ठीक से खाना खिलाने या उसके कपड़े बदलने में भी लापरवाही की। यह सब काम अपीलार्थी पर छोड़ दिया गया था। इस प्रकार अपीलार्थी ने क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा।

11. **लिखित बयान में प्रत्यर्थी** ने याचिका में लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया।

12. **अभिवचनों में मुद्दे** निम्नानुसार **विरचित किए गए थे:**

> *(i) क्या प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता से व्यवहार किया है? साबित करने का दायित्व वादी पर*
> *(ii) राहत।"*

13. **अपीलार्थी ने स्वयं को अभि.सा.1 के रूप में प्रस्तुत किया** जबकि **प्रत्यर्थी प्र.सा.1 के रूप में** अपने मामले के समर्थन में **उपस्थित हुई।**

14. **विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश** ने साक्ष्यों की विवेचना करते हुए यह **निष्कर्ष निकाला** कि यद्यपि अपीलार्थी ने अपनी याचिका में बताई गई सभी घटनाओं और क्रूरताओं के बारे में गवाही दी थी, लेकिन प्रतिपरीक्षा में प्रत्यर्थी को उनमें से किसी भी घटना के बारे में नहीं बतलाया गया था। भले ही प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया था और अपीलार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया था, यह अपीलार्थी पर था कि वह क्रूरता के कृत्यों को साबित करे जिसे वह साबित करने में विफल रहा है; इसलिए, विवाह-विच्छेद की याचिका खारिज कर दी गई।

15. विवाह-विच्छेद की याचिका खारिज होने से व्यथित होकर वर्तमान अपील दायर की गई है।

16. **प्रस्तुतियाँ सुनी गईं और अभिलेख का अवलोकन किया गया।**

17. दोनों पक्षकारगण ने स्वीकार किया कि उनकी शादी 14.10.1999 को हुई थी और इस विवाह से 28.12.2000 को एक बेटे का जन्म हुआ था। 19.09.2001 को यानी शादी के दो साल के भीतर ही दोनों अलग हो गए। इस प्रकार दोनों पक्षकारगण द्वारा कथित क्रूरता लगभग दो वर्षों की अवधि तक छाई हुई है।

18. सबसे पहले, यह देखना उचित है कि वैवाहिक मामलों में मूलतः पक्षकारगण उनके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के गवाह होते हैं। ज्यादातर मामलों में यह एक पक्ष की दूसरे पक्ष के खिलाफ गवाही मात्र होती है और दूध का दूध पानी का पानी करने का कठिन काम न्यायालयों पर पड़ता है। मूलत: पक्षों के द्वारा बयान किए गए घटनाक्रम की सत्यता निर्धारित करने के लिए परिस्थितियों और संभावनाओं को समग्र रूप से संभावनाओं की कसौटी पर तौलना होगा है।

19. वर्तमान मामले में भी, यह कथित घटनाओं का प्रत्यर्थी के खिलाफ अपीलार्थी का शब्द/आरोप मात्र है। अपीलार्थी/पति द्वारा प्रत्यर्थी/पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों में से पहला संवर्ग यह है कि उसने घर के काम करने से इनकार कर दिया और अपीलार्थी को कोई आदर, सम्मान, प्यार और स्नेह नहीं दे पाई। प्रत्यर्थी को देर तक सोने की आदत थी और वह अपीलार्थी को नाश्ता भी नहीं देती थी और कई बार तो उसे बगैर नाश्ता किए या पैक लंच के बिना ही अपने कार्यालय जाना पड़ता था। उसने 28.08.2001 की

विशिष्ट घटना का बखान किया, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से अनुरोध किया था कि वह उसकी मां की कपड़े धोने में मदद करे क्योंकि वह स्वस्थ नहीं थी, लेकिन प्रत्यर्थी ने मदद करने के बजाय अपमानजनक भाषा में चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। अपीलार्थी ने गवाही दी कि 25.09.2000 को, अपीलार्थी बीमार पड़ गया था और उसने प्रत्यर्थी से एक गिलास पानी के लिए कहा, जिस पर उसने जवाब दिया कि अगर वह पानी नहीं देगी तो वह मर नहीं जाएगा। अपीलार्थी ने गवाही दी है कि 02.10.2000 को प्रत्यर्थी के माता-पिता उनके घर आए और दुर्व्यवहार किया। 20.11.2000 को प्रत्यर्थी से अपीलार्थी के लिए नाश्ता तैयार करने का अनुरोध किया गया, लेकिन उसके लिए प्रत्यर्थी ने हाँ नहीं कहा।

20. अपीलार्थी द्वारा सुनाई गई ये घटनाएं अहानिकर और व्यक्तिपरक लग सकती हैं लेकिन इस तरह के कृत्यों के प्रभाव का आकलन इस मानक से नहीं किया जाना चाहिए कि क्या सामान्य संवेदनशीलता वाले एक तर्कशील व्यक्ति को यह आचरण क्रूर लगेगा, लेकिन क्या यह आचरण पीड़ित पति या पत्नी के लिए क्रूर होगा यह *दास्ताने बनाम दास्ताने* एआईआर 1975 एससी 1534 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया था। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो पति-पत्नी वैवाहिक रिश्ते में बंधते हैं, वे आपसी देखभाल, स्नेह और सौहार्द की कुछ अपेक्षाओं के साथ ऐसा करते हैं। अपीलार्थी ने अपनी गवाही में जो छोटी-छोटी घटनाएँ बताई हैं, वे शुरुआती अड़चनें और सामंजस्य के मुद्दे

प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपसी विश्वास और भरोसे के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं, जिस पर विवाह अंत तक कायम रहता है। अपीलार्थी की गवाही से यह स्पष्ट है कि उसकी चिढ़ की वजह से, वह प्रत्यर्थी द्वारा उपेक्षित और अपमानित महसूस करता था।

21. अपीलार्थी ने आगे गवाही दी है कि जब वह अपने कार्यालय चला जाता था तो प्रत्यर्थी उसे बिना बताए अपने माता-पिता के घर चली जाती थी। वह अपने माता-पिता के अत्यधिक प्रभाव में थी जिससे उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप होता था। प्रत्यर्थी के पिता चाहते थे कि अपीलार्थी के माता-पिता अपना पैसा प्रत्यर्थी के माता-पिता के चिटफंड/समिति व्यवसाय में निवेश करें। हालाँकि, अपीलार्थी के पिता ने पर्याप्त पैसा नहीं होने के कारण अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी, जो प्रत्यर्थी के माता-पिता को पसंद नहीं आई। प्रत्यर्थी अपनी गवाही में मूलत: टालमटोल कर रही थी और उसके पास कोई जवाब नहीं था।

22. अपीलार्थी ने आगे गवाही दी थी कि अपने माता-पिता के प्रभाव में आकर प्रत्यर्थी ने 01.03.2000 को अपीलार्थी से अपने पिता के व्यवसाय और अचल संपत्तियों में बंटवारा और अपना हिस्सा मांगने के लिए कहा था। जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो उसने उसे झूठे मामलों में फंसाने और अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के जीवन और स्वतंत्रता को बर्बाद करने की धमकी दी। जब उसने प्रत्यर्थी के माता-पिता से संपर्क किया तो उन्होंने उसके ही आचरण का समर्थन किया। अपने वैवाहिक जीवन में प्रत्यर्थी के माता-पिता

के लगातार हस्तक्षेप से परेशान होकर, अपीलार्थी ने 10.03.2002 को प्रत्यर्थी से अनुरोध किया कि वह अपने माता-पिता से उनके जीवन में हस्तक्षेप कम करने का अनुरोध करे, लेकिन प्रत्यर्थी ने दुर्व्यवहार करके प्रतिक्रिया व्यक्त की।

23. अपीलार्थी ने आगे गवाही दी कि 02.05.2000 को प्रत्यर्थी की मामी उनके घर आईं और अपीलार्थी से बच्चे की सामाजिक सुरक्षा के लिए उसके द्वारा की गई व्यवस्था के बारे में पूछने लगीं। उसे 15.05.2000 को प्रत्यर्थी के पिता ने भी चेतावनी दी थी कि यदि प्रत्यर्थी की तरफ से कोई शिकायत मिली, तो उसके पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

24. प्रत्यर्थी ने याचिका में लगाए गए सभी आरोपों को नकारने के अलावा कोई जवाबी स्पष्टीकरण नहीं दिया। यहां तक कि उसकी गवाही भी मूलतः मौन थी और उसने अपीलार्थी द्वारा बताई गई घटनाओं पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। कोई स्पष्टीकरण देने या जवाबी स्पष्टीकरण देने में प्रत्यर्थी की इस तरह की गहरी चुप्पी साध लेने से, एकमात्र निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है वह यह है कि अपीलार्थी की गवाही सच्ची है। इसलिए, यह साबित किया गया है कि दोनों पक्षों के वैवाहिक जीवन में प्रत्यर्थी के माता-पिता का हस्तक्षेप था, जिसने स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के लिए अत्यधिक मानसिक तनाव और उत्पीड़न पैदा किया और उनके रिश्ते को मजबूत होने में भी रूकावट डाली।

25. अपीलार्थी ने आगे गवाही दी कि प्रत्यर्थी ने 25.07.2000 को अपीलार्थी के माता-पिता से अपने लिए एक अलग निवास लेने की मांग की और अलग

रहने से इनकार करने पर प्रत्यर्थी ने दुर्व्यवहार किया। अपीलार्थी ने आगे कहा कि जैसे ही वह 29.08.2001 को अपने कार्यालय के लिए रवाना हुआ, प्रत्यर्थी ने अपने माता-पिता और मामा के साथ मिलीभगत से पुलिस को बुलाया और यहां तक कि अपीलार्थी और उसके माता-पिता की गिरफ्तारी की व्यवस्था की और यहां तक कि एक झूठी रिपोर्ट भी दी। प्रत्यर्थी के कहने पर पुलिस ने कोरे कागजों पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर ले लिए और उसे अपने माता-पिता से अलग निवास लेने के लिए विवश किया। नतीजतन, 30.08.2001 को अपीलार्थी और प्रत्यर्थी कीर्ति नगर, नई दिल्ली में अपीलार्थी के दादा-दादी के घर में शिफ्ट हो गए। लगभग बीस दिन बाद, 19.09.2001 को उन्होंने किराए का मकान लिया और अपने बैग और सामान के साथ वहाँ शिफ्ट हो गये। हालाँकि, प्रत्यर्थी ने किराए के मकान में रहने से इनकार कर दिया और दादा-दादी के घर से अपने माता-पिता के घर चली गई। तभी से प्रत्यर्थी अपने माता-पिता के साथ रह रही है।

26. प्रत्यर्थी ने दिनांक 26.11.2008 को अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि, वह पिछले सात वर्षों से अपने पति से अलग रह रही है और लगभग साढ़े पांच वर्षों तक वह अपने माता-पिता के साथ रही। इसके बाद वह वर्ष 2006 या 2007 में किसी समय अपने ससुराल आई। उसने आगे बताया कि समय दोपहर करीब 12:00 बजे का था और घर में उसकी सास, ससुर और देवर मौजूद थे। उसके आते ही तीनों घर से निकल गये। उसने गवाही दी कि

उसके माता-पिता उसके साथ नहीं आए थे और इस बात से भी इनकार किया कि उसके साथ चार-पांच महिला सामाजिक कार्यकर्ता भी थीं, जो घर में दाखिल हुई थीं। उसने कहा कि वह यह नहीं बता सकती कि घर में सामान पड़ा था या नहीं क्योंकि एक कमरा और रसोई को छोड़कर सभी कमरे बंद पड़े थे। उसने स्वीकार किया कि तब से, वह वैवाहिक घर में रह रही है और उसके बाद, उसके ससुराल वाले वैवाहिक घर नहीं आए हैं। यह सब अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि लगभग सात साल अलग रहने के बाद, प्रत्यर्थी अपीलार्थी के साथ वैवाहिक संबंध को बहाल करने और सुधारने के प्रयास से वैवाहिक घर में नहीं लौटी, बल्कि मुलत: अपने निवास के अधिकार का दावा करने के लिए लौटी। हालांकि उसके कानूनी अधिकारों के दावे को गलत नहीं ठहराया जा सकता है या उसके खिलाफ नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के बयानों को मजबूत करता है कि वह अपने माता-पिता के प्रभाव में थी और अपने माता-पिता से **अलग नहीं हो** पाई और अपीलार्थी के साथ अपना रिश्ता मजबूत नहीं कर पाई। स्पष्ट रूप से, विवाह और इसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को अस्वीकार कर दिया गया था। प्रत्यर्थी के ऐसे आचरण को अपीलार्थी के प्रति मानसिक क्रूरता ही कहा जा सकता है।

27. अपीलार्थी ने आगे कहा है कि 28.12.2000 को नवजात शिशु के जन्म के समय प्रत्यर्थी के माता-पिता ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। प्रत्यर्थी की मां 26.01.2001 को आईं और अपीलार्थी को गालियाँ दी। उसने आगे गवाही दी

कि प्रत्यर्थी ने बच्चे की उपेक्षा की और उसके भोजन और अन्य आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रख पाई। जब अपीलार्थी ने हस्तक्षेप किया, तो वह नाराज हो गई और अपीलार्थी पर पानी का गिलास फेंक दिया और बच्चे को भी बेरहमी से पीटा। 25.05.2001 को प्रत्यर्थी ने गुस्से में आकर बच्चे को फर्श पर पटक दिया। 10.07.2001 को जब बच्चा रो रहा था, तो प्रत्यर्थी ने उसे थप्पड़ मारा। इसके बाद अपीलार्थी ने बच्चे के दूध और अन्य जरूरतों की देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया।

28. अपीलार्थी की गवाही का संदर्भ देना और भी महत्वपूर्ण है, जिसने गवाही दी थी कि 29.08.2001 को, प्रत्यर्थी पुलिस के साथ आई थी, जब वह अपने कार्यालय चला गया था, उसके माता-पिता और मामा और स्थानीय पुलिस के साथ मिलीभगत से, उसने याचिकाकर्ता और उसके माता-पिता की गिरफ्तारी की व्यवस्था की थी। इस तथ्य को प्रत्यर्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि उसने 29.08.2001 को शिकायत दर्ज कराई थी और उसकी शिकायत पर उसी दिन उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा, उसने स्वीकार किया कि वह पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन उसने कहा कि वह 29.08.2001 की घटना के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती थी और इस पर भी टिप्पणी करने को तैयार नहीं थी कि क्या कोई प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसने आगे गवाही दी कि उसके ससुराल वालों को उसी तारीख को रिहा कर दिया गया था। यह प्रत्यर्थी के ऊपर है कि वह उन परिस्थितियों के बारे में

बताए जिसके कारण उसे पुलिस बुलाने के लिए विवश होना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी के माता-पिता की गिरफ्तारी हुई। उसके चुप रहने से, केवल यह प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है कि पुलिस में शिकायत करने और अपीलार्थी के माता-पिता को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी के लिए इससे अधिक मानसिक आघात और क्या हो सकता है कि उसके माता-पिता को बिना किसी स्पष्ट कारण के गिरफ्तारी की अत्यधिक बदनामी का सामना करना पड़े।

29. अपीलार्थी ने उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया है जिनके कारण सीएडब्ल्यू सेल के बाहर प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों की पिटाई के आरोपों पर अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 18.12.2001 को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325 और 34 के तहत प्राथमिकी संख्या 672/2001 दर्ज की गई थी। अपीलार्थी ने गवाही दी है कि घटनाओं का सही क्रम यह था कि 18.12.2001 को, जब वह दोपहर 12:15 बजे अपने कार्यालय पहुंचा, तो उसने प्रत्यर्थी/पत्नी को वहां मौजूद पाया, जिसने उस पर कीर्ति नगर में अपने साथ रहने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, लेकिन अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी/पत्नी द्वारा किए गए क्रूर कठोर व्यवहार और अपमान और मानभंग के कारण अपनी अनिच्छा व्यक्त की, जिससे उसके लिए प्रत्यर्थी के साथ रहना असंभव हो गया। यह सुनकर, प्रत्यर्थी/पत्नी गुस्सा हो गई और उस पर चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया और यहां तक कि उसके और उसके परिवार के

सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। उसने कार्यालय के दरवाजे और खिड़कियां भी पीटना शुरू कर दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। उसने अपीलार्थी को 10 मिनट में अपना जलवा दिखाने की धमकी भी दी है। इसके बाद वह कार्यालय से चली गई और दोबारा आ गई। उसके आने के लगभग 10 मिनट के भीतर, गुंडों और असामाजिक तत्वों से भरी तीन कारें, उसके माता-पिता, उसका भाई, श्री गौरव आनंद, मामा श्री अशोक, मामी श्रीमती रमेश भरारा और श्री चंदर भरारा और ममेरे भाई श्री राजन भरारा, श्री जयदेव भरारा और श्री विकास भरारा, अपीलार्थी के कार्यालय में आए और दरवाजे और खिड़कियों के शीशे पीटने लगे। इन लोगों ने अपीलार्थी की मोटर साइकिल को भी बुरी तरह पीटा और उसे पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।

30. फिर ये सभी लोग अपीलार्थी/पति के पैतृक घर आए और दरवाजे और खिड़की के शीशों पर पत्थर और ईंटें फेंकना शुरू कर दिया और उन्हें नुकसान पहुंचाया। यह देखकर अपीलार्थी के चचेरे भाई श्री विशाल तलवार ने 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया। श्री राजन भरारा किसी तरह घर का गेट खोलने में कामयाब रहे और वे सभी अंदर आ गए और अपीलार्थी के चचेरे भाई श्री विशाल तलवार को पकड़ लिया और उसे उस मंजिल की बालकनी से नीचे फेंकने की कोशिश की। लेकिन पड़ोसियों की चेतावनी की वजह से वे अपने ग़ैरक़ानूनी मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। इन व्यक्तियों ने श्री विशाल तलवार को पीटा और ई-45, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में पहली मंजिल के

परिसर के दरवाजे और खिड़कियों को नुकसान पहुंचाया। घर में तोड़फोड़ की गयी और सामान क्षतिग्रस्त कर दिया गया। क्षतिग्रस्त मोटर साइकिल की तस्वीरों को प्र.अभि.सा.-1/10 से प्र.अभि.सा.-1/12 के रूप में प्रदर्शित किया गया है और घर को हुए नुकसान की तस्वीरों को प्र.अभि.सा.-1/13 से प्र.अभि.सा.-1/21 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। श्री विशाल तलवार की चिकित्सा रिपोर्ट को प्र.अभि.सा.-1/22 और प्र.अभि.सा.-1/23 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

31. पुलिस द्वारा प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई लेकिन उनके खिलाफ प्राथमिकी संख्या 672/2001 दर्ज की गई। दो दिन बाद प्राथमिकी दर्ज करने के खिलाफ अपीलार्थी के पिता की ओर से विरोध पत्र दिया गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 325, 379, 383, 425, 426, 441, 447, 503 और 506 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत प्रत्यर्थी/पत्नी और छह अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ विद्वान महानगर दंडाधिकारी, दिल्ली के न्यायालय में शिकायत का एक मामला दायर किया गया था। हालाँकि, उक्त शिकायत वापस ले ली गई क्योंकि प्रत्यर्थी/पत्नी ने भी अपना मामला वापस ले लिया था।

32. इसलिए, यह विवाद में नहीं है कि 18.12.2001 को एक घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसने एक जवाबी-शिकायत दायर की थी, हालांकि

उसने इसे वापस ले लिया क्योंकि प्रत्यर्थी ने भी प्राथमिकी वापस ले ली। माना जाता है कि प्रत्यर्थी से जब जिरह के दौरान घटना के बारे में सवाल किया गया तो उसने घटना या प्राथमिकी दर्ज होने के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इसलिए, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, 18.12.2001 को एक अप्रिय घटना घटी, जिसमें अपीलार्थी को परेशान होना पड़ा और उसे न केवल दर्ज की गई प्राथमिकी में आपराधिक विचारण का सामना करना पड़ा, बल्कि उसे आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए भी विवश होना पड़ा।

33. इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में एक शिकायत की थी, जिसमें अपीलार्थी को 31.12.2002 को उपस्थित होने के लिए नोटिस प्र.अभि.सा.-1/35 जारी किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक जांच की गई, हालांकि शिकायत खारिज कर दी गई। इसके अलावा, प्रत्यर्थी/पत्नी द्वारा इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि, उसने मई, 2003 में सीएडब्ल्यू सेल, कीर्ति नगर के समक्ष एक शिकायत भी दर्ज की थी, जिसमें अपीलार्थी ने अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसमें विद्वान अति.सत्र.न्या. ने निर्देश दिया था कि उसकी गिरफ्तारी से पहले उसे दो दिन का नोटिस दिया जाए और दिनांक 14.05.2003 के आदेश की प्रति प्र.अभि.सा.-1/36 के रूप में प्रदर्शित की गई है।

34. प्रत्यर्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया था कि ये शिकायतें केवल सुलह के इरादे से की गई थीं। हालाँकि, यह स्पष्टीकरण इस साधारण कारण से मान्य नहीं है कि इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों का जबरदस्त उत्पीड़न हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग, सीएडब्ल्यू सेल और यहां तक कि पुलिस के समक्ष केवल सुलह के इरादे से ऐसी शिकायतें दायर करना उचित नहीं माना जा सकता है।

35. प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने का पूर्ण अधिकार है और राज्य तंत्र से संपर्क करने का पूरा अधिकार है। हालाँकि, यह आरोप कि उसके साथ क्रूरता या दहेज के लिए उत्पीड़न किया गया था, के समर्थन में ठोस सबूत पेश करने का दायित्व उस पर था। हालाँकि आपराधिक शिकायत दर्ज करना क्रूरता नहीं माना जा सकता, हालाँकि, तलाक की कार्यवाही के दौरान अप्रमाणित क्रूरता के ऐसे गंभीर और अपुष्ट आरोप, अपीलार्थी के प्रति क्रूरता के कृत्य हैं और साथ ही वैवाहिक रिश्ते को अस्वीकार करने के प्रत्यर्थी के इरादे का प्रमाण भी हैं।

36. *के. श्रीनिवास बनाम के. सुनीता एक्स* (2014) एसएलटी 126 के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करना अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (झक) के उद्देश्य से मानसिक क्रूरता है। *रवि कुमार बनाम जुल्मीदेवी* (2010) 4 एससीसी 476 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से

अभिनिर्धारित किया है कि *"पति और परिवार के सदस्यों के खिलाफ धुष्ट, झूठे और मानहानिकारक आरोपों से समाज की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी और यह क्रूरता के बराबर होगा।* इसी तरह की टिप्पणियाँ इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने *रीता बनाम जय सोलंकी* (2017) एससीसी ऑनलाइन डेल 9078 और *निशि बनाम जगदीश राम* 233 (2016) डीएलटी 50 के मामले में की थीं।

37. पक्षकारगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के वैवाहिक जीवन में प्रत्यर्थी के माता-पिता और परिवार के सदस्यों का अनपेक्षित हस्तक्षेप था, जैसा कि उसने दावा किया है। माता-पिता के इस तरह के हस्तक्षेप से अपीलार्थी को भारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उसे विभिन्न एजेंसियों के समक्ष कई शिकायतों का सामना करना पड़ा। दोनों पक्षकारगण 2001 से यानी लगभग 13 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं, इस दौरान अपीलार्थी को बिना किसी गलती के उसके वैवाहिक रिश्ते से वंचित रखा गया है। इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि किसी भी वैवाहिक रिश्ते का आधार सहवास और वैवाहिक रिश्ते होते हैं। किसी पति को अपनी पत्नी के साथ रहने से वंचित किया जाना यह साबित करता है कि यह विवाह टिक नहीं सकता है, और वैवाहिक संबंधों से इस तरह का वंचित होना अत्यधिक क्रूरता का कार्य है। वैवाहिक रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए पत्नी द्वारा कोई प्रयास किए बिना इतने लंबे समय तक अलग रहना क्रूरता का कार्य है, जैसा कि *समर घोष*

बनाम जया घोष (2007) 4 एससीसी 511 के मामले में अभिनिर्धारित किया जाता है।

38. इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अभिलेख पर मौजूद सबूतों से साबित हुआ कि पक्षकारगण के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है और इतने लंबे समय तक अलग रहने की स्थिति पैदा हो गई, जिससे झूठे आरोप, पुलिस रिपोर्ट और आपराधिक विचारण को केवल मानसिक क्रूरता कहा जा सकता है। पक्षकारगण के बीच वैवाहिक कलह इस हद तक पहुंच गया है कि दोनों पक्षकारगण के बीच विश्वास, भरोसा, समझ, प्यार और स्नेह पूरी तरह से खत्म हो गया है। यह मृत रिश्ता कटुता, अप्रासंगिक मतभेदों और लंबी मुकदमेबाजी से ग्रस्त हो गया है; इस रिश्ते को जारी रखने की कोई भी जिद केवल दोनों पक्षकारगण पर और अधिक क्रूरता को कायम रखेगी।

39. इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अपीलार्थी सफलतापूर्वक यह साबित कर पाया है कि प्रत्यर्थी द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई थी और वह तलाक का हकदार है। **इस प्रकार, हम दिनांक 29.05.2009 के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हैं और एचएमए, 1955 की धारा 13 (झ) (झक) के तहत तलाक को मंजूरी देते हैं।**

40. तदनुसार अपील को अनुमति दी जाती है।

41. तदनुसार डिक्री शीट तैयार की जाए।

(न्या. नीना बंसल कृष्णा)

(न्या. सुरेश कुमार कैत)

फरवरी 05,2024
जेएन/वीए/आरएस/

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*